न्यूज़ टुडे

फोन टैपिंग पर मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट्स ने निर्णय सुनाया

दोनों न्यायालयों ने फोन टैपिंग से संबंधित अपना-अपना निर्णय दिया है। मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट्स दोनों के समक्ष प्रस्तुत मामलों में "**अपराध के लिए उकसावे को रोकना**" शामिल था। यह फोन टैपिंग को अनुमति प्रदान करने के लिए **कानूनी तौर पर एक वैध आधार** है।

- दिल्ली हाई कोर्ट ने **फोन टैपिंग के आदेश को सही ठहराया,** जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने उसे **रद्द** कर दिया।
  - **मद्रास हाई कोर्ट** ने माना कि टेलीफोन टैपिंग तब तक निजता के अधिकार (संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत मौलिक अधिकार) का **उल्लंघन** है, जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से इसे उचित न ठहराया जाए।

भारत में फोन टैपिंग पर कानून:

- **भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898:** यह डाक के माध्यम से संचार को अवरोधित करने की अनुमति देता है।
- **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885:** वॉयस कॉल को टैप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
  - **धारा 5(2)** के तहत "किसी भी **लोक आपातकाल** की घटना पर, या **लोक सुरक्षा** के हित में" राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा फोन टैपिंग को अधिकृत किया जा सकता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** यह व्हाट्सएप संदेशों, ईमेल आदि के अवरोधन (इंटरसेप्शन) को शासित करता है।

पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ, 1997 मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

- **टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2)** की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा;
- इसके लागू होने के लिए **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय** निर्धारित किए;
- फोन टैपिंग के आदेश केवल **राज्य और केंद्र सरकारों के गृह सचिव** ही जारी कर सकते हैं;
- यदि इस आदेश का **नवीनीकरण नहीं** किया जाता है, तो यह **दो महीने की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं** रहेगा आदि।

केयर एज की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास विश्व का 8% दुर्लभ भू तत्व (Rare Earth Element: REE) भंडार मौजूद है

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पास **विश्व में तीसरा सबसे बड़ा REE भंडार** है, लेकिन इसका वैश्विक REE खनन में योगदान **1% से भी कम** है।

- वहीं दूसरी ओर, **चीन के पास विश्व का कुल 49% REE भंडार** है और REE खनन (उत्पादन) में उसकी **69% हिस्सेदारी** है। यही नहीं, REE रिफाइनिंग में उसका **90%** योगदान है।

भारत में REE प्राप्ति क्षेत्र

- भारत के REE भंडार **मुख्य रूप से मोनाजाइट रेत** में पाए जाते हैं, जिनमें **थोरियम** भी मौजूद होता है।
- इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार **तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा** जैसे तटीय राज्यों में REE के **सबसे अधिक भंडार** मौजूद हैं।

भारत REE खनन और रिफाइनिंग में पिछड़ क्यों रहा है?

- **खनन की जटिल प्रक्रिया:** REE आम तौर पर **रेडियोएक्टिविटी** से जुड़े होते हैं, जिससे इनका खनन **लंबी, जटिल और महंगी प्रक्रिया** बन जाती है।
- **अधूरी औद्योगिक मूल्य श्रृंखला:** भारत के पास REE का खनन करने, उन्हें अन्य तत्वों से अलग करने और **ऑक्साइड के रूप में रिफाइन करने की सुविधाएं मौजूद** है। साथ ही, वह धातुओं की प्राप्ति भी कर सकता है।
  - हालांकि, भारत के पास **मिश्रधातु और मैग्नेट जैसे मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माण की सुविधा नहीं** है।
- **अन्य कारण:**
  - भारत के पास मुख्यतः हल्के **दुर्लभ भू तत्व (Light REE)** हैं, जबकि **भारी दुर्लभ भू तत्व (Heavy REE)** खनन योग्य मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।
  - **तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone - CRZ) मानदंडों के कारण** भी इनके खनन पर प्रतिबंध है।
  - मिनी रत्न कंपनी '**इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (IREL)**' एकमात्र भारतीय संस्था है, जो **मोनाजाइट से दुर्लभ भू यौगिकों का प्रसंस्करण** करती है।

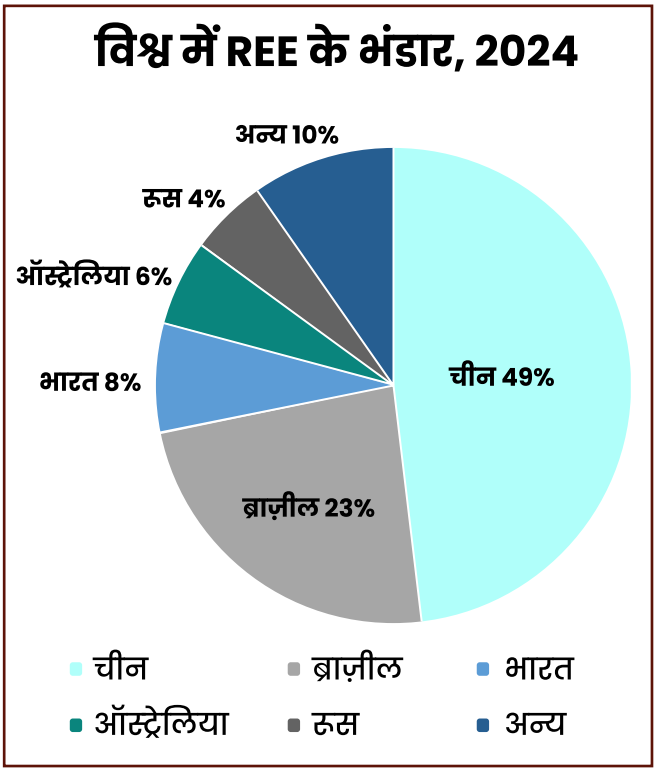

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा-पार संचलन) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किए गए

इन्हें **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने अधिसूचित किया है। ये **1 अप्रैल, 2026** से लागू होंगे।

- ये **अलौह धातुओं (जैसे एल्यूमीनियम, तांबा एवं जस्ता और इनकी मिश्र धातुओं सहित)** के स्क्रैप के लिए एक व्यापक **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) फ्रेमवर्क** प्रस्तुत करता है ।

अलौह धातुओं (Non-Ferrous Metals) के स्क्रैप के लिए EPR के बारे में

- **लक्ष्य:** प्रत्येक उत्पादक की पुनर्चक्रण संबंधी लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी, जो **2026-27 में 10% से शुरू होकर 2032-2033 तक बढ़कर 75%** हो जाएगा।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:** यह पोर्टल के माध्यम से **EPR प्रमाण-पत्र** जारी करेगा।
- **EPR प्रमाण-पत्र की वैधता:** यह अवधि इसके जारी होने वाले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद **दो वर्षों** तक होगी।

अलौह धातुओं के स्क्रैप के लिए EPR का महत्त्व:

- यह उद्योग जगत द्वारा नियमों को अपनाने के लिए लगने वाले अनिवार्य समय को स्वीकार करता है,
- यह चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है (इन्फोग्राफिक देखें),
- इसके तहत उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी को शामिल किया गया है, आदि।

EPR फ्रेमवर्क के बारे में

- यह एक नीतिगत दृष्टिकोण है, जो उत्पादकों पर उनके उत्पादों और पैकेजिंग की उपयोग अवधि (End-of-life) समाप्त होने के बाद प्रबंधन का दायित्व तय करता है।
- भारत में EPR की अवधारणा की शुरुआत **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2011** से हुई थी।

ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी ने ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप "बिटचैट" के बारे में जानकारी दी

बिटचैट एक नया **पीयर-टू-पीयर मैसेजिंग ऐप** है, जो बिना किसी **केंद्रीकृत सर्वर या फोन नेटवर्क के संचार या कम्युनिकेशन** को संभव बनाता है।

- बिटचैट **संचार को संभव** करने के लिए **ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्किंग** का उपयोग करता है।

ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग क्या है?

- यह एक निर्धारित रेंज में मौजूद डिवाइसेस द्वारा निर्मित **ब्लूटूथ क्लस्टर या मेश नेटवर्क्स** पर काम करता है।
- **मेश नेटवर्क को "मल्टी-हॉप नेटवर्क"** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक **नेटवर्किंग टोपोलॉजी** है।
  - इसमें **डेटा किसी भी डिवाइस से** अन्य सभी डिवाइसेस तक जा सकता है। साथ ही, कई डिवाइसेस आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं।
  - यदि एक डिवाइस भी खराब हो जाए, तो भी नेटवर्क काम करता रहता है।
- मेसेज **नोड्स द्वारा तब तक प्रसारित या ब्रॉडकास्ट और रिले** किए जाते हैं, जब तक कि वे **निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंच** जाते।
  - जब कोई ब्लूटूथ डिवाइस मेश नेटवर्क से जुड़ता है, तो वह एक **नोड** बन जाता है।

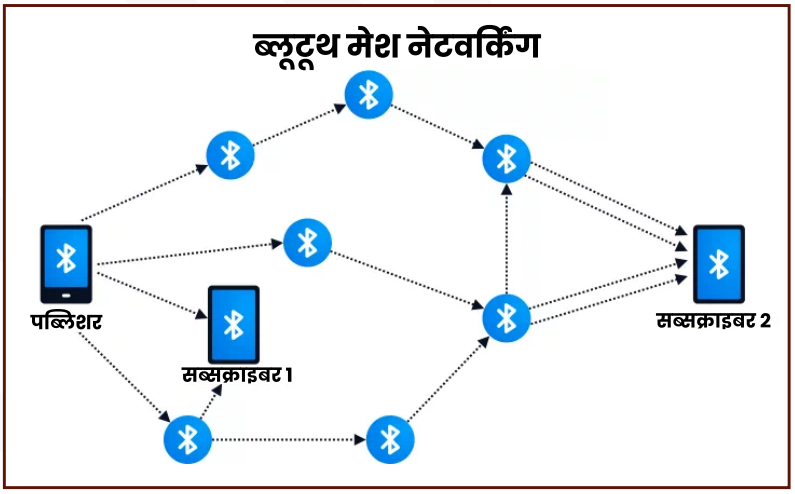

ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग के संभावित लाभ

- **केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता नहीं:** मेसेज पूरी तरह से **उपयोगकर्ताओं के डिवाइसेस पर संग्रहित** होते हैं और थोड़े समय के बाद डिलीट हो जाते हैं।
  - यह डिजाइन **उपयोगकर्ताओं की निजता को प्राथमिकता** देने के लिए बनाया गया है।
  - इसके अलावा, मेसेज **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड** होते हैं और **नेटवर्क से बाहर नहीं** जाते हैं।
- **पंजीकरण की आवश्यकता नहीं:** उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल या फोन नंबर के जरिए अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे संचार या कम्युनिकेशन गोपनीय बना रहता है।
- **अन्य:** बिजली की कम खपत, आदि।

मुख्य सीमाएं: इसमें उच्च विलंबता, जटिल नेटवर्क प्रबंधन, डेटा ट्रांसफर की निम्न दर, आदि शामिल है।

भारत और ब्राजील ने छह महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए

ये समझौते **भारत के प्रधान मंत्री द्वारा ब्राजील की राजकीय यात्रा** के दौरान किए गए हैं।

- भारतीय प्रधान मंत्री को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान **"ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस"** भी प्रदान किया गया।

संपन्न किए गए मुख्य समझौते:

- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सीमा-पार संगठित अपराध से मिलकर लड़ने के लिए सहयोग** पर समझौता;
- डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर **डिजिटल तकनीकों के आदान-प्रदान** पर समझौता ज्ञापन;
- **नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान में सहयोग के लिए ब्राजील के एम्ब्रापा (EMBRAPA) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** के बीच समझौता ज्ञापन (MoU);
- **गोपनीय जानकारी के आदान-प्रदान और उनकी सुरक्षा** को लेकर समझौता;
- **बौद्धिक संपदा (Intellectual property)** पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर नज़र रखने के लिए मंत्रिस्तरीय तंत्र की स्थापना की भी घोषणा की गई आदि।

अगले दशक के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र: रक्षा व सुरक्षा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन, आदि।

भारत-ब्राजील संबंधों के बारे में:

- **वैश्विक सहयोग: 2006 से** दोनों देशों के बीच **रणनीतिक साझेदारी** है।
  - ये दोनों देश **BRICS, BASIC, G-20, G-4, IBSA जैसे समूहों और UN, WTO, UNESCO, WIPO** जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करते हैं।
- **व्यापार:** वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार **12.20 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया था, जिसमें भारत व्यापार अधिशेष (surplus) की स्थिति में है।
- **रक्षा सहयोग:** 2006 में **रक्षा सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत एक संस्थागत तंत्र के रूप में एक **संयुक्त रक्षा समिति (JDC)** बनाई गई थी, जो नियमित सहयोग सुनिश्चित करती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:**
  - ब्राजील **ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस** का सह-संस्थापक सदस्य है।
  - ब्राजील ने **2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** समझौते की अभिपुष्टि की थी।

अन्य सुर्ख़ियां

भारतीय दूरसंचार सेवा वार्षिक प्रदर्शन संकेतक

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने वर्ष 2024-25 के लिए **भारतीय दूरसंचार सेवा-वार्षिक प्रदर्शन संकेतक** जारी किए हैं।

वार्षिक संकेतक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **इंटरनेट सब्सक्राइबर्स:** 2024 के **954.40 मिलियन** से बढ़कर 2025 में **969.10 मिलियन** हो गए।
- **टेलीफोन सब्सक्राइबर्स:** 2024 के **1,199.28 मिलियन** से बढ़कर 2025 में **1,200.80 मिलियन हो गए।**
- **टेली-घनत्व (Tele-Density):** 2024 के **85.69%** से घटकर 2025 में **85.04%** हो गया।
  - शहरी और ग्रामीण टेली-घनत्व क्रमशः **131.45%** और **59.06%** हैं।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म (CBAM)

ब्रिक्स (BRICS) देशों ने यूरोप के CBAM को **"एकतरफा और अन्यायपूर्ण व्यापार अवरोध"** बताते हुए उसकी निंदा की है और इस मैकेनिज्म को अस्वीकार कर दिया है।

CBAM के बारे में

- यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से लगाया गया **कार्बन सीमा कर (Carbon Border Tax)** है।
- इसका उद्देश्य उन उत्पादों पर शुल्क लगाना है जो यूरोपीय संघ (EU) में आते हैं और जिनके उत्पादन में अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है।
  - साथ ही, इसका उद्देश्य **गैर-यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहित** भी करना है।
- **लागू होने की तिथि:** यह मैकेनिज्म **2026 से पूरी तरह से लागू** होगा। लेकिन इससे पहले इसे 2023 से 2025 तक ट्रांजिशन के तहत चरणबद्ध रूप से धीरे-धीरे लागू किया जायेगा।

प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (BIND) योजना

BIND योजना के सहयोग से **उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केन्द्र** स्थापित किया जाएगा।

BIND योजना के बारे में

- यह योजना **2023** में शुरू की गई थी।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।
- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- **उद्देश्य:** इस योजना के तहत **प्रसार भारती** {जैसे- ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन (DD)} को उनके प्रसारण संबंधी अवसंरचनाओं को विस्तार देने और उन्हें आधुनिक बनाने, नया कंटेंट तैयार करने, इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - **प्रसार भारती** देश का **सार्वजनिक प्रसारक (Public Broadcaster)** है।

वहन क्षमता (Carrying Capacity)

उत्तराखंड सरकार ने पारिस्थितिक असंतुलन की जांच के लिए **शहरों की वहन क्षमता का आकलन** शुरू किया है।

वहन क्षमता के बारे में

- **किसी पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता** उस जनसंख्या या समुदाय का आकार है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं के आधार पर अनिश्चितकाल तक समर्थन दिया जा सकता है।
- **यह आमतौर पर तीन कारकों द्वारा निर्धारित होता है:**
  - पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा;
  - जनसंख्या या समुदाय का आकार; और
  - समुदाय के भीतर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग की जा रही संसाधनों की मात्रा।

खराई ऊँट

हाल ही में, गुजरात में समुद्री ज्वार में फंसे खराई ऊंटों को बचाया गया।

खराई ऊँटों के बारे में

- यह ऊंटों की एक **अनोखी और पालतू नस्ल है**। ये समुद्र में तैरने एवं मैंग्रोव क्षेत्र में चराई करने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं।
- यह **गुजरात (मुख्यतः कच्छ) की देशज नस्ल है**।
  - इसका नाम स्थानीय शब्द "**खरा**" **से लिया गया है, जिसका अर्थ लवणीय** होता है। **यह विशेषता इस ऊंट की रेगिस्तान और तटीय,** दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रति अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है।
- इसे **रबारी और फकीरानी जाट जनजातियों द्वारा 400 वर्षों** से अधिक समय से संरक्षित किया जाता रहा है।
- इसका **दूध पोषक तत्वों से भरपूर** होता है और इसमें **चिकित्सीय गुण** भी पाए जाते हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने **वर्ष 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत की राष्ट्रपति** को सौंप दी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के बारे में

- यह आयोग **89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से पूर्ववर्ती "**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग**" को विभाजित कर निम्नलिखित दो अलग-अलग आयोग बनाए गए:
  - **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC):** संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत
  - **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग:** संविधान के अनुच्छेद 338-A के तहत।
- **NCSC के मुख्य कार्य:**
  - अनुसूचित जातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों से संबंधित सभी उपायों के क्रियान्वयन की जांच और निगरानी करना।
  - अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना।
- **संरचना:** अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। इनकी **नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा** की जाती है।
- **शक्तियां:** कुछ मामलों में इसे **सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं**।

जैपोनिका चावल

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च (NIPGR) के वैज्ञानिकों ने **CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक** का उपयोग करके जैपोनिका चावल की किस्मों में **फॉस्फेट की अवशोषण और परिवहन क्षमता** को बढ़ाया है।

पौधों की वृद्धि में फास्फोरस की भूमिका:

- यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक खनिज है। पौधों में इस खनिज की कमी से उत्पादकता में भारी गिरावट आ सकती है।
- यह खनिज **सूर्य की ऊर्जा को पौधों के लिए उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करने में** विशेष भूमिका निभाता है।
- यह खनिज **पौधों की जड़ के विकास को उत्प्रेरित** करने, दलहनी फसलों में **नाइट्रोजन स्थिरीकरण** (N-fixing) की क्षमता बढ़ाने, तथा फूल लगने और बीज उत्पादन में सुधार जैसे कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और विश्लेषण-राष्ट्रीय सर्वेक्षण (PARAKH RS)

हाल ही में PARAKH RS के **नतीजे जारी किए गए**। PARAKH RS को पहले **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey: NAS)** के नाम से जाना जाता था।

- इसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित विषयों में किया गया:
  - **भाषा और गणित:** कक्षा 3, 6 और 9 के लिए,
  - **हमारे आसपास की दुनिया:** कक्षा 3 और 6 के लिए,
  - **विज्ञान और सामाजिक विज्ञान:** कक्षा 9 के लिए।

परख (PARAKH) के बारे में

- यह **राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (National Assessment Centre)** है।
- इसे 2023 में **NCERT में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में** स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** विद्यार्थियों के मूल्यांकन से संबंधित मानदंड, मानक, दिशा-निर्देश निर्धारित करना और संबंधित गतिविधियों को लागू करना।
  - साथ ही, यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों** को भी संपन्न करता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

नामीबिया (राजधानी: विंडहोक)

भारत के प्रधान-मंत्री ने नामीबिया की यात्रा की।

भौगोलिक अवस्थिति

- **अवस्थिति:** अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर।
- **स्थलीय सीमाएँ:** उत्तर में **अंगोला,** उत्तर-पूर्व में **ज़ाम्बिया,** पूर्व में **बोत्सवाना,** तथा दक्षिण व दक्षिण-पूर्व में **दक्षिण अफ्रीका**।
- **समुद्री सीमा:** पश्चिम में **अटलांटिक महासागर**।

भौगोलिक विशेषताएं

- **मरुस्थल:** तटीय **नामीब मरुस्थल** (विश्व का प्राचीनतम मरुस्थल) और **कालाहारी मरुस्थल**।
- **प्राप्त खनिज:** हीरे, यूरेनियम, सोना, जस्ता और तांबा।
- **मकर रेखा नामीबिया** के मध्य से गुजरती है।